



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6599

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19285 वर्ष 2025

रवि कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव सिंह, शुभम यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि श्री बट्टी लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत हैं और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा देवी को भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त थी। हालांकि, उनका 12.07.2025 को निधन हो गया, याचिकाकर्ता श्रीमती दुर्गा देवी की बहन का जैविक पुत्र होने का दावा करता है। याचिकाकर्ता पंजीकृत वसीयत के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में लाभ भी चाहता है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम मृतक के नामांकित व्यक्ति के कॉलम में पाया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर विचार करने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या निस्तारण तीसरे प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय प्रभाग, चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता

लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय मंडल, चंदौली, उत्तर प्रदेश, के समक्ष 30.01.2026 तक प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरे प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के दावे पर दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना होगा, जिसमें पात्रता, उपयुक्तता और साथ ही इस तथ्य से संबंधित मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा कि याचिकाकर्ता एक कानूनी उत्तराधिकारी है और यदि कोई प्रतिस्पर्धी दावे हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा:

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश